



Re-Accredited
NAAC 'A' Grade

विवरणिका PROSPECTUS 2016-17



राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर राजस्थान

प्राचार्य
डॉ. बेला भनोत
उप-प्राचार्य
डॉ. उमाकांत

विवरणिका प्रकाशन समिति

डॉ. एन. एस. मोदी
डॉ. जी. पी. सिंह
डॉ. चन्द्रशेखर कच्छावा

डॉ. बी. एस. राठौड़
डॉ. मीरा श्रीवास्तव
डॉ. नरेन्द्र भोजक

Phone : 0151-2528036, Fax : 0151-2528036, website : www.dungarcollege.ac.in
e-mail : info@dungarcollege.ac.in

राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर : एक परिचय

लगभग पांच शताब्दियों पूर्व विक्रम संवत् 1545 की वैशाख सुदी बीज तदनुसार 12 अप्रैल सन् 1488 के दिन मारवाड़ नरेश राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। सन् 1951 में राजस्थान के गठन के समय सम्पूर्ण प्रदेश में केवल पांच स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे, उनमें डूंगर महाविद्यालय भी राज्य का प्रमुख स्नातकोत्तर महाविद्यालय था। महाराजा डूंगरसिंह द्वारा सन् 1873 में स्थापित दरबार स्कूल को महाराजा गंगासिंह के शासनकाल की रजत जयन्ती वर्ष में 25 सितम्बर सन् 1912 को डूंगर मेमोरियल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, परन्तु यहां महाविद्यालय स्तर का अध्यापन सन् 1928 में प्रारम्भ हुआ।

सन् 1937 में महाराजा गंगासिंह के शासनकाल के स्वर्ण जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में इस महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर उन्नत किया गया और विद्यालय विभाग को सार्दुल स्कूल के नाम से पृथक् कर दिया गया। जुलाई सन् 1940 में यहां इंटरमीडिएट स्तर पर भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र एवं सन् 1942 में जीव विज्ञान विषय के अध्ययन की सुविधा सुलभ करा दी गई। सन् 1942 में ही इस महाविद्यालय में विज्ञान और विधि संकायों में स्नातक स्तर की कक्षाएं प्रारंभ की गईं और हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषय में अधिस्नातक स्तर (एम.ए.) का अध्यापन प्रारम्भ हो गया। 1947 तक यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का स्वरूप प्राप्त कर चुका था।

सन् 1937 में महाराजा गंगासिंह के राज्यकाल के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में 1.5 लाख रुपयों की लागत से वास्तु शिल्प के अद्वितीय कलात्मक स्वरूप से युक्त महाविद्यालय को जो शहर में स्थित था, मूल भवन से वर्तमान भवन एवं परिसर में सन् 1962 में स्थानान्तरित कर दिया गया। सन् 1967 में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में एम.एससी. प्रारम्भ की गईं, जिसे सन् 1970 में विस्तार देते हुए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों तक समुन्नत कर दिया गया। विधि विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं (एलएल.एम.) सन् 1970 से प्रारम्भ होने के साथ ही इस महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रदेश के प्रथम एवं एकमात्र ऐसे महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त किया, जहां विधि का स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन सुलभ था। तदुपरान्त भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, भूगर्भशास्त्र, उर्दू जैसे विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ होने तथा चित्रकला व राजस्थानी जैसे कतिपय नए विषयों को खोले जाने से महाविद्यालय का शिक्षण क्षेत्र विस्तार प्राप्त करता गया। सन् 1988 से 1995 तक यह महाविद्यालय राजकीय स्वायत्तशासी महाविद्यालय रहा। 1996-97 के सत्र से महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की स्नातक कक्षाएं भी प्रारम्भ की गईं।

आज यह महाविद्यालय प्रदेश के शीर्षस्थ महाविद्यालयों में से एक है, जहां 21 विषयों में स्नातक, 17 विषयों में अधिस्नातक, 10 विषयों में एम.फिल. तथा लगभग सभी विषयों में डॉक्टरेट करने की सुविधाएं विद्यमान हैं। अनेक लक्ष्य प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का नाम इस महाविद्यालय की विकास यात्रा से जुड़ा रहा है। यहां अध्ययन कर जीवन पथ पर निकले विद्यार्थियों ने अनेकानेक क्षेत्रों में महाविद्यालय के नाम को न केवल राष्ट्रीय वरन् अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी गौरवान्वित किया है। यह गर्व का विषय है कि महाविद्यालय को शैक्षिक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त हुआ है। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में लगातार दो बार 'A' ग्रेड प्राप्त करने का गौरव केवल इसी महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है।



डॉ. बेला भनोत

प्राचार्य

डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

Email : belabhanot11@gmail.com

Tel (O) 0151-2528036

M.N. +91-9414242977

सन्देश

प्रिय विद्यार्थियों,

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं वरन् राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान उपलब्धियां अर्जित करने वाले मानक संस्थान राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आपको यह जानकर निश्चिततः गर्व की अनुभूति होगी कि आप एक ऐसे महाविद्यालय के विद्यार्थी बनने का सुअवसर प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक मूल्यांकन परिषद्(नैक) ने निरीक्षणोपरान्त दो बार "ए" ग्रेड से प्रत्यापित किया है साथ ही यह महाविद्यालय सरकार द्वारा घोषित "मॉडल कॉलेज" का सम्मान प्राप्त संस्थान है।

यह महाविद्यालय प्रदेश के सबसे पुराने और सुप्रतिष्ठित स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में से एक है जहां कला, वाणिज्य व विज्ञान संकायों के विद्वान शिक्षाविदों द्वारा उत्कृष्ट कोटि का अध्यापन एवं शोध कार्य कराया जाता है। अनुसंधान प्रेरक अध्ययन के अतिरिक्त यहां वर्ष पर्यन्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, व्याख्यान एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। राज्य सरकार की योजनान्तर्गत महाविद्यालय में विविध प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कक्षाओं का संचालन "श्री विद्या अनुशिक्षण केन्द्र" के माध्यम से पूर्व सत्र से दिया जा रहा है तथा महाविद्यालय में "ई कक्षा कक्ष" भी स्थापित किया गया है। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सत्र पर्यन्त शैक्षणेत्तर गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। गत सत्र से महाविद्यालय में नवाचारों की श्रंखला शुरू की गई, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के माध्यम से शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है तो विज्ञान डायग्नोस्टिक व फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नये रोजगारों की ओर बढ़ाये जा रहे कदम सरकार की रोजगार नीति को लागू करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। यहां के विद्यार्थियों ने देश-विदेश में ख्याति अर्जित कर इस महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस महाविद्यालय की पुनीत परंपराओं का निर्वहन करते हुए आप भी इसके उत्तरोत्तर विकास में भागीदार बनेंगे।

आप इस देश के भावी कर्णधार हैं। इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय से अध्ययन प्राप्त कर आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना सकारात्मक योगदान दें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है।

शुभकामनाओं सहित

दिनांक : 26 मई 2016

स्थान : बीकानेर

डॉ. बेला भनोत

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

1. विद्यार्थी वांछित कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही करें।
2. केवल निर्धारित तिथि तक ही आवेदन पत्रों का पंजीकरण किया जाएगा।
3. विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अब राज्य सरकार ने समाप्त कर दी है।
4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक से अधिक विषयों में प्रवेश चाहने के इच्छुक विद्यार्थी प्रत्येक विषय के लिये अलग-अलग आवेदन-पत्र भरें।
5. निम्नलिखित दशाओं में आवेदन-पत्र अपूर्ण आवेदन-पत्र माना जाएगा और उस पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा—
 - (अ) अधूरा भरा हुआ आवेदन-पत्र
 - (ख) आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं अंकतालिकाओं रहित आवेदन-पत्र
 - (ग) फोटो रहित आवेदन-पत्र
6. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र लगाने अनिवार्य है—
 - (क) विगत उत्तीर्ण परीक्षा की सत्यापित अंकतालिकाएं
 - (ख) एम.ए./एम.एससी. में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी स्नातक स्तर के तीनों पार्ट (पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय) की सत्यापित अंकतालिकाएं लगाएँ।
 - (ग) कला अथवा विज्ञान विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी एम.ए./एम.एससी. कक्षाओं की सत्यापित अंकतालिकाएं लगाएँ।
 - (घ) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
 - (च) चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (छ) विकलांग विद्यार्थियों के लिये मेडिकल प्रमाण-पत्र।
 - (ज) आय प्रमाण-पत्र।
 - (झ) माइग्रेसन प्रमाण पत्र (अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए)
 - (ट) खेलकूद/एन.सी.सी./रोवरिंग/एन.एस.एस./अन्य का लाभ लेने के लिए संबंधित मूल प्रमाण-पत्र
 - (ठ) नियोक्ता का अनुमति-पत्र (नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिये)
 - (ड) शपथ-पत्र (अंतराल या गैप वाले विद्यार्थियों के लिये)
 - (ढ) मूल निवासी प्रमाण-पत्र (राजस्थान के बाहर से आने वालों के लिये)

7. प्रवेश आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ लायें।
8. जिन विद्यार्थियों का प्रवेश सूची में नाम आ जाता है वे निर्धारित तिथि तक निर्धारित काउण्टर पर अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा दें।
9. अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा विगत वर्ष में किसी भी कारण से परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण माने जायेंगे।
10. प्रवेश दे दिये जाने पर भी विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित कारणों से निरस्त किया जा सकता है।
 - (क) कार्यालय की भूल से अयोग्य होते हुए भी प्रवेश दे दिए जाने पर।
 - (ख) विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण दण्डित दिये जाने पर।
 - (ग) महाविद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण दण्डित किये जाने पर।
 - (घ) परीक्षा में अनुचित साधन के कारण दण्डित किये जाने पर।
 - (ङ) अन्य कारणों से जिसकी सूचना विद्यार्थी को दे दी जाएगी।
11. उपस्थिति के नियम
 - (क) महाविद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
 - (ख) उपस्थिति की गणना प्रत्येक प्रश्न-पत्र एवं विषय में अलग-अलग की जाएगी। जिन विषयों में प्रायोगिक कक्षाएं भी होती हैं, उनमें प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति की गणना अलग से की जायेगी।
 - (ग) न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण किए बिना कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठने का अधिकारी नहीं होगा।
 - (घ) जो विद्यार्थी एक माह तक अथवा अधिक समय तक अपनी कक्षा में निरन्तर अनुपस्थित रहता है, उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
12. विषय परिवर्तन के नियम
 - (क) इसके लिए शैक्षणिक प्रकोष्ठ में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (ख) एम.ए./एम.एससी. की कक्षाओं में सीटों की निश्चित संख्या होने के कारण एक विषय में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को विषय परिवर्तन की अनुमति प्रवेश नीति के आधार पर दी जायेगी।
 - (ग) बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. पार्ट प्रथम में विद्यार्थी विषय के परिवर्तन हेतु प्रवेश नीति का अध्ययन करें।
13. सभी विद्यार्थी विवरणिका का भली-भांति अध्ययन कर आवेदन-पत्र भरें।
14. प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा में अपेक्षित प्रतिशत से कम अंक वाले आवेदन न करे।
15. किसी विषय में सप्लीमेन्ट्री होने पर प्रवेश पत्र में अर्हकारी परीक्षा की तालिकाओं में स्पष्ट लिखें।
16. प्रवेश सम्बन्धित नियमों/उपनियमों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2016-17 देखें।

शुल्क सभ्यन्धी सूचनाएँ

महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में फीस का विवरण निम्नलिखित है—

सरकारी मद

1.	प्रवेश शुल्क	10.00
2.	प्रयोगशाला शुल्क	100.00
3.	शिक्षण शुल्क (तालिका के अनुसार ली जायेगी)	144.00

छात्र-कोष मद

1.	खेलकूद शुल्क	40.00
2.	पत्रिका शुल्क व बुलेटिन शुल्क	25.00
3.	पुस्तकालय विकास शुल्क	25.00
4.	अध्ययन कक्ष / वाचनालय शुल्क	25.00
5.	सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क	20.00
6.	छात्र / छात्रा कामन रूम शुल्क	10.00
7.	छात्र सहायता कोष	5.00
8.	छात्र संघ गतिविधि शुल्क	25.00
9.	सामान्य गतिविधि शुल्क	20.00
10.	विकास शुल्क	45.00
11.	परिचय पत्र शुल्क	5.00
12.	साइकिल स्टेण्ड शुल्क	30.00
13.	उद्यान / मैदान विकास शुल्क	20.00
14.	मनोरंजन शुल्क	5.00
15.	एल्यूमिनी गतिविधि शुल्क	10.00
16.	छात्र संघ चुनाव शुल्क	20.00

अन्य शुल्क

1.	प्लानिंग फोरम शुल्क (केवल अर्थशास्त्र के छात्रों से)	5.00
2.	डुप्लीकेट पुस्तकालय कार्ड शुल्क (प्रति कार्ड)	4.00
3.	डुप्लीकेट परिचय-पत्र शुल्क / डुप्लीकेट स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क	50.00
4.	डाक व्यय	5.00
5.	संकाय / विषय परिवर्तन शुल्क (क) स्नातक स्तर 100.00 (ख) स्नातकोत्तर	200.00
6.	नामांकन शुल्क	200.00
7.	पात्रता शुल्क	200.00
8.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क	10.00
9.	डुप्लीकेट अंक तालिका शुल्क (स्वायत्तशासी काल की)	50.00
10.	प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र शुल्क (स्वायत्तशासी काल की)	50.00
11.	चरित्र प्रमाण-पत्र शुल्क	10.00
12.	अनिवार्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुल्क (बी.एससी., बी.ए., बी.कॉम प्रथम वर्ष के लिए)	450.00
13.	रोवर्स / रेंजर्स शुल्क	10.00
14.	बीमा शुल्क	50.00
15.	महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100.00
16.	काशन मनी	25.00
17.	प्लानिंग शुल्क	5.00

शुल्क चार्ट
शुल्क विवरण एफ.एम.जी. व अ.जा. अन्य
छात्राओं के अ.ज.जा. के
लिए अ.पि.व., वि.पि.व. के लिए लिये
बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम - पार्ट प्रथम

प्रवेश शुल्क	10	10	10
शिक्षण शुल्क	—	—	144
छात्र कोष शुल्क	415	210	415
कॉशनमनी (नवीन प्रवेश)	25	25	25
बीमा शुल्क	50	50	50
नामांकन शुल्क	100	100	100
डाक व्यय	05	—	05
वि.वि. खेलकूद सुविधा व विकास शुल्क	30	30	30
कम्प्यूटर शुल्क	450	450	450
रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	10	10	10
महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100	100	100
	1152	992	1296
विज्ञान, भूगोल व ड्राइंग-पेंटिंग			
प्रयोग शुल्क	100	100	100
प्रयोगशाला विकास शुल्क	120	120	120
	1372	1212	1516

बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम - पार्ट द्वितीय व तृतीय

प्रवेश शुल्क	10	10	10
शिक्षण शुल्क	—	—	144
छात्र कोष शुल्क	415	210	415
बीमा शुल्क	50	50	50
डाक व्यय	05	—	05
वि.वि. खेलकूद सुविधा व विकास शुल्क	30	30	30
रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	10	10	10
महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100	100	100
	577	417	721
विज्ञान, भूगोल व ड्राइंग-पेंटिंग			
प्रयोग शुल्क	100	100	100
प्रयोगशाला विकास शुल्क	120	120	120
	797	637	941

एफ.एम.जी. — फेमिली मेम्बर ऑफ गर्वनमेंट एम्पलोई

अ.जा. — अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. — अनुसूचित जन जाति, अ.पि.व. — अन्य पिछड़ा वर्ग

वि.पि.व. — विशेष पिछड़ा वर्ग

**शुल्क विवरण एफ.एम.जी. व अ.जा.
छात्राओं के अ.ज.जा. के
लिए अ.पि.व., वि.पि.व. के लिए
एम.ए./एम.एससी.**

		अन्य	
प्रवेश शुल्क	10	10	10
शिक्षण शुल्क	—	—	240
छात्र कोष शुल्क	415	210	415
कॉशनमनी (नवीन प्रवेश)	25	25	25
बीमा शुल्क	50	50	50
डाक व्यय	05	—	05
वि.वि. खेलकूद सुविधा व विकास शुल्क	30	30	30
रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	10	10	10
महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100	100	100
	602	442	842
विज्ञान, भूगोल			
प्रयोगशाला शुल्क	150	150	150
प्रयोगशाला विकास शुल्क	180	180	180
	932	772	1172

एम.फिल. पीएच.डी. के लिये

प्रवेश शुल्क	10	10	10
शिक्षण शुल्क	—	—	240
छात्र कोष शुल्क	415	210	415
कॉशनमनी (नवीन प्रवेश)	25	25	25
बीमा शुल्क	50	50	50
डाक व्यय	05	—	05
रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	10	10	10
वि.वि. खेलकूद सुविधा व विकास शुल्क	100	100	100
पुस्तकालय शुल्क	180	180	180
प्रयोगशाला शुल्क	150	150	150
प्रयोगशाला विकास शुल्क	180	180	180
महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100	100	100
	1112	952	1352

निम्नलिखित शुल्क सभी संकायों पर लागू है

नामांकन शुल्क	100	100	100
पात्रता शुल्क	100	100	100
विषय परिवर्तन शुल्क	200	200	200

नोट : 1. महाविद्यालय में पीएच.डी. विद्यार्थी से एक साथ 2 वर्ष की फीस ली जाती है। विद्यार्थी जब थीसिस जमा करायेगा तब दो वर्षों से अधिक वर्षों की फीस महाविद्यालय में और जमा करानी होगी। 2. डुप्लीकेट परिचय-पत्र, डुप्लीकेट स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं फीस रसीद प्राप्त करने हेतु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा।

छात्रवृत्तियां

(इनकी नवीनतम सूचना कार्यालय से अथवा वेबसाइट www.rajpns.nic.in प्राप्त करें)

समाज कल्याण विभाग व आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। उनका विवरण यहाँ दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियां

(अ) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति के छात्रों को देय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

1. पात्रता

क. केवल वे ही छात्र, जो राजस्थान के अनु. जाति / अनु. जनजाति से सम्बन्धित हो।

ख. शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय / संकाय में अध्ययन करने लगे, जैसे – बी.ए. के बाद बी.कॉम. करने लगे या एम. ए. करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे।

ग. नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा वह पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

घ. एक ही माता-पिता / अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

ङ. कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।

च. अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिये देय नहीं होगी।

2. राशि

छात्रवृत्ति की राशि के लिये निम्न समूह निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार है—

समूह	छात्रावास	अछात्रावास
क. स्नातकोत्तर (कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं विधि)	820 /—	530 /—
ख. स्नातक (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	570 /—	300 /—
ग. स्नातक प्रथम वर्ष	350 /—	230 /—

3. आय

क. माता-पिता की वार्षिक आय 200000 /— तक होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान पूरी दर से किया जाएगा।

ख. विद्यार्थी के पिता की आय का शपथ पत्र देने पर ही छात्रवृत्ति पर विचार किया जायेगा।

4. फीस

छात्र द्वारा संस्था / विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जाएगा किन्तु इसमें कॉशनमनी सम्मिलित नहीं होगी।

5. नवीनीकरण

अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी। इसके लिये छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

6. भुगतान

छात्र का चयन आय जांच के आधार पर किया जायेगा, इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।

छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह से) जो भी बाद में हो, से परीक्षा पूरी होने तक प्रतिमाह किया जायेगा।

छात्रवृत्तियों की राशि छात्र के बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को अपना खाता संख्या बैंक का नाम व शाखा की पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। बैंक पास बुक की प्रति संलग्न करें।

नोट : विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

7. आवेदन

अ. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा जिसमें निम्न सूचना आवश्यक है—

(क) पासपोर्ट साईज फोटो

(ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिका / प्रमाण—पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ

(ग) जाति प्रमाण—पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे न हो)

(घ) आय घोषणा पत्र

1. न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट के जरिये सभी स्रोतों से एक निश्चित आय का वर्णन करते हुए स्वनियोजित माता—पिता / अभिभावकों के द्वारा आय घोषणा—पत्र।

2. नियोजित माता—पिता / अभिभावकों को अपने नियोजकों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ब. अनु. जाति / अनु. जनजाति के विकलांग छात्रों के लिये अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिये पाठक भत्ता – पाठ्यक्रम का स्तर पाठक भत्ता

समूह : (रुपये प्रतिमाह)

क, ख, ग – 240 /—

घ – 200 /—

ङ – 160 /—

(ख) विकलांग छात्रों के लिये प्रतिमाह 100 /— रुपये परिवहन भत्ते का प्रावधान यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हो।

स. विकलांगों के लिये छात्रवृत्ति

अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (ऑर्थोपिडिकली हैन्डीकेप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(ब) समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को देय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

1. पात्रता

क. केवल वे ही विद्यार्थी जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हो।

ख. शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय / संकाय में अध्ययन करने लगे जैसे बी.ए. के बाद बी.कॉम. करने लगे या एम.ए. करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे, वे इसके पात्र नहीं होंगे।

ग. एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी जैसे बी. एड. के उपरान्त एलएल.बी. करने वाले, इसके पात्र नहीं होंगे।

घ. किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता अभ्यर्थी इसका पात्र नहीं होगा।

ङ एक ही माता—पिता / संरक्षक की दो सन्तानें ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अधिकारी होगी किन्तु यह प्रतिबन्ध छात्रा अभ्यर्थी

पर लागू नहीं होगा।

च. अनियोजित अभ्यर्थी की दशा में माता-पिता की वार्षिक आय 44500/- से अधिक न हो।

2. राशि

छात्रवृत्ति की राशि के लिये 5 समूह निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार है –
प्रतिमाह रुपये

समूह	छात्रावास	अछात्रावास
क. तकनीकी शिक्षा	425/-	190/-
ख. स्नातकोत्तर विज्ञान	290/-	190/-
ग. एम. ए.	290/-	190/-
घ. स्नातक कला/वाणिज्य/विज्ञान द्वितीय एवं तृतीय	230/-	120/-
ङ. स्नातक भाग प्रथम, कला/वाणिज्य/विज्ञान	150/-	90/-

3. दृष्टिहीन पाठकार्य

समूह

क/ख/ग	100/-
घ	75/-
ङ	50/-

4. शुल्क

विद्यार्थी द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा। किन्तु कॉशनमनी सम्मिलित नहीं होगी।

5. नवीनीकरण

अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी। इसके लिये छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

6. भुगतान

राशि छात्र के बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को अपना खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा की पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है।

नोट : विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

7. आवेदन

अ. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा जिसमें निम्न सूचना आवश्यक है—

(क) पासपोर्ट साईज फोटो

(ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां

(ग) जाति प्रमाण-पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे न हो)

(घ) आय घोषणा-पत्र

1. न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट के जरिये सभी स्रोतों से एक निश्चित आय का वर्णन करते हुए

स्वनियोजित माता-पिता/अभिभावकों के द्वारा आय घोषणा-पत्र।

2. नियोजित माता-पिता/अभिभावकों को अपने नियोजकों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

च) प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा की मूल रसीद
(स.) समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग को देय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (देवनारायण योजना)

1. पात्रता

- क. केवल वे ही विद्यार्थी जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हों।
- ख. वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 144000/- से अधिक न हो।
- ग. अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय में सम्पर्क करें।

आवश्यक नोट

1. विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।
2. अपूर्ण आवेदन पत्रों एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. शपथ—पत्र घोषणाकर्ता / शपथकर्ता के नाम से खरीदा जाए। यथा माता—पिता / पति / अभिभावक।
4. माता—पिता / पति के जीवित होने की स्थिति में कोई अन्य अभिभावक या संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- द. मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना यथासंभव प्राप्त नियमों व निर्देशों के अनुसार
- य. देवनारायण स्कूटी योजना यथासंभव प्राप्त नियमों के अनुसार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्तियां

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति
3. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
4. महिला योग्यता छात्रवृत्ति
5. राजनैतिक पीड़ितों / स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
6. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति
7. उर्दू छात्रवृत्ति
8. भारत पाक व चीन युद्ध में मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों को एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति
9. ललित कला छात्रवृत्ति (संगीत संस्थान जयपुर)
10. ललित कला छात्रवृत्ति (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स)
11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति
12. कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति
13. मिलिट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून) छात्रवृत्ति

नोट 1. निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र निदेशालय फीस भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं। छात्र, नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिये निर्धारित आवेदन—पत्र शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिये और स्पष्ट एवं शुद्ध लेखों में होना चाहिये।

2. जिन छात्रों ने सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने इस स्तर का कोर्स पूरा किया है, जैसे इण्टरमीडियेट आदि तथा आगे अध्ययन हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. में प्रवेश लेते हैं उन्हें नूतन आवेदन—पत्र भरने होंगे तथा जिन छात्रों ने इस महाविद्यालय से या अन्य किसी महाविद्यालय से गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त की है उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे।

विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश व सूचनाएं

1. विद्यार्थी प्रवेश पत्र में दिया गया पता किसी कारणवश बदलने पर इसकी लिखित सूचना महाविद्यालय कार्यालय में संरक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें।
2. अध्ययन काल में यदि आप आर्थिक लाभ वाला कोई कार्य स्वीकार करते हैं तो उसकी सूचना कॉलेज कार्यालय में अनिवार्य रूप से देनी होगी।
3. अपनी अंकतालिका एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां सत्यापित करवाकर पर्याप्त संख्या में रख लें। शैक्षणिक शाखा में अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र जमा करवाने के पश्चात् पुनः निकलवाना संभव नहीं होगा।
4. महाविद्यालय कार्य समय में खाली कालांश के समय विद्यार्थी अपने समय का उपयोग पुस्तकालय, वाचनालय में करें। महाविद्यालय के पोर्च के आगे भीड़ न करें जिससे महाविद्यालय में आने जाने वालों को असुविधा न हो।
5. विद्यार्थियों को हिदायत दी जाती है कि वे महाविद्यालय की दीवारों पर पीक थूक कर प्रांगण को गंदा न करें तथा पेशाबघरों में खाली पाउच न डालें।
6. विद्यार्थी महाविद्यालय की गरिमा के अन्तर्गत महाविद्यालय के किसी शिक्षक व कर्मचारी से बातचीत व व्यवहार में अभद्रता न करें अन्यथा उसे विश्वविद्यालय अध्यादेश 88 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में माना जाकर कक्षा से निलंबित/ निष्कासित किया जा सकता है व विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से अयोग्य करार दिया जा सकता है।
7. छात्र अपने वाहन मुख्यभवन के पोर्च के सामने व विज्ञान भवन के सामने न रखें। प्रशासन द्वारा ऐसे विद्यार्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है।
8. महाविद्यालय में मद्यपान, चरस, गांजा का उपयोग व धूम्रपान सर्वथा निषिद्ध है। ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले छात्र को तुरन्त निलंबित किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। चुनाव के दौरान व अन्य मौकों पर विद्यार्थी ऐसे अनधिकृत तत्वों के महाविद्यालय में प्रवेश को रोकें, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।
10. प्राचार्य तथा उपप्राचार्य कक्ष में विद्यार्थी समूह में प्रवेश न करें तथा अनुमति प्राप्त कर ही प्रवेश करें।
11. परीक्षा के दौरान महाविद्यालय के मूत्रालयों व शौचालयों में पाठ्य सामग्री ले जाना वर्जित है। ऐसी पवित्र सामग्री को मलमूत्र में डालना एक हेय और घृणित कार्य है।
12. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई सूचनाओं को फाड़ना, बिगाड़ना व इस पर कुछ लिखना दण्डनीय कृत्य है, क्योंकि ऐसा करने से सम्बन्धित छात्र ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं।
13. छात्रसंघ चुनाव के दौरान भवन के बाहर व भीतर दीवारों पर लिखना, पोस्टर चिपकाना, चित्र बनाना तथा दरवाजे खिड़कियाँ गंदा करना मना है। इस कृत्य के लिये महाविद्यालय प्रशासन, छात्रों से परिसर की सफाई का खर्चा वसूल सकता है। छात्रसंघ चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशी कपड़े के बैनर का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में कई विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय को सामूहिक रूप में गंदा करने पर सामूहिक रूप से खर्चा वसूला जा सकेगा।

विशिष्ट सूचनाएँ

14. भारत सरकार की ओर से प्राप्त डी.ओ.नं. एफ-10-2/99 यू. आई दिनांक 3-5-99 के अनुसार, शिक्षण संस्थाओं में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों की रैगिंग लेना एक दण्डनीय कृत्य है। शिकायत की पुष्टि होने पर ऐसे छात्रों पर जो रैगिंग लेने की कार्यवाही में लिप्त हैं, कठोर कार्यवाही की जा सकती है।
15. राज्य सरकार से प्राप्त आदेश के अन्तर्गत, छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले समस्त छात्र-छात्राएँ अपना खाता निकटवर्ती बैंक अथवा ट्रेजरी बैंक में (स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर, पब्लिक पार्क शाखा में) खुलवाकर खाता संख्या महाविद्यालय के लेखाशाखा में नोट करवा दें। उनकी छात्रवृत्ति की राशि खाते में जमा कराई जायेगी।
16. महाविद्यालय परिसर में परिचय-पत्र की अनिवार्यता :
महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय कैम्पस में अपना परिचय पत्र अपने साथ रखना होगा। परिचय-पत्र खो जाने की दशा में दुबारा तभी बनेगा जब विद्यार्थी पांच रुपये के स्टाम्प पर कोर्ट से शपथ-पत्र तैयार कर प्रस्तुत करेंगे तथा महाविद्यालय की नियत फीस जमा कराएंगे।
17. टर्मिनल टेस्ट
कॉलेज शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आदेश क्रमांक एफ 8/अकाद/निकाशि/2000/2006 दिनांक 8.6.2000 के अन्तर्गत महाविद्यालय में टर्मिनल क्लास टेस्ट होंगे।

शैक्षणिक सुविधाएँ

पुस्तकालय

1. महाविद्यालय पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को निहित फार्म, जो आवेदन पत्र के साथ मिलेगा, भरकर पुस्तकालय में जमा कराना होगा। पुस्तकालय के नियम पढ़कर उसका पालन करना अनिवार्य है।
2. प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को दो पुस्तकालय पत्रक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थी को चार और एम.फिल. व पीएच.डी. के विद्यार्थियों को पांच पुस्तकालय पत्रक दिये जायेंगे।
3. पुस्तकालय पत्रक अहस्तांतरणीय है। इसके खोने, नष्ट होने अथवा दुरुपयोग होने का मूल उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र का होगा।
4. पुस्तकालय पत्रक खो जाने पर उसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालय को दें और चार रु. प्रति पत्रक देकर नये पत्रक बनवा लें। नये पत्रक पन्द्रह दिन में बनाकर दिये जायेंगे।
5. विद्यार्थी अपने पत्रकों पर केवल विषय से सम्बन्धित अथवा सामान्य पाठकों के लिये लिखी गई पुस्तक ही ले सकेगा। इस विषय में पुस्तकालयाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
6. पुस्तकें प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियों के पास परिचय पत्र का होना अनिवार्य है। इसके अभाव में पुस्तकें नहीं दी जायेगी।

7. विद्यार्थी पुस्तक लेते समय पुस्तक को भली-भांति देख लें। यदि पुस्तक के पन्ने फटे हो अथवा क्षतिग्रस्त हो तो संबंधित अधिकारी को दिखाकर हस्ताक्षर करवा लें। अन्यथा लौटाते समय यदि पुस्तक फटी हुई पाई गई या उसके पृष्ठ कम पाये गये तो सारी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।
 8. पुस्तकें दो सप्ताह के लिये दी जायेगी। निश्चित अवधि के बाद लौटाने पर दस पैसे प्रति पुस्तक प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा।
 9. पुस्तकालय के द्वारपाल को पुस्तकालय से बाहर जाने वाली सभी पुस्तकें देखने का अधिकार है।
 10. सत्र की समाप्ति पर पुस्तकालय पत्रक लौटा दें। बिना इनके लौटाये अदेय प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा।
 11. जो विद्यार्थी परीक्षा तक पुस्तकें रखना चाहें, उन्हें पुस्तकों की कीमत की दुगुनी धरोहर राशि जमा करानी होगी, जो पुस्तकें जमा कराने पर वापस लौटा दी जायेगी।
 12. प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकों को सुरक्षित व स्वच्छ रखेगा। पुस्तकों में निशान लगाना, नाम लिखना, गंदा करना, अनैतिक, अवैध और निन्दनीय हैं, पकड़े जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 13. पुस्तकें खो जाने पर विद्यार्थी को पुस्तक का दो गुना मूल्य चुकाना होगा।
- पुस्तक निस्तारण का समय : 10.00 से 1.30 बजे तक

सहशैक्षणिक गतिविधियाँ व सुविधाएँ

खेलकूद

कॉलेज में प्रायः सभी आउटडोर तथा इनडोर खेलों की सुविधायें उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के सही निर्देशन के लिये एक शारीरिक प्रशिक्षक और प्रायः हर खेल के लिये दक्ष प्रभारी उपलब्ध हैं। कॉलेज इन्टर-क्लास टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। खेलों में भाग लेने के लिये विद्यार्थी खेलकूद विभाग में अपना नाम पंजीकृत करवाकर संबंधित खेल प्रभारी से सम्पर्क करें।

रोवरिंग / रेंजरिंग

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करते हुए जनता की निःस्वार्थ सेवा करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डूंगर महाविद्यालय में रोवर स्काउट कार्यक्रम हर वर्ष सत्रारंभ से प्रारम्भ कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य आयोजन :

कॉलेज परिवार द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता सप्ताह, राष्ट्रीय युवा सप्ताह और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्वानों के भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रभात फेरियाँ आदि का आयोजन किया जाता है।

पत्रिका एवं बुलेटिन :

विद्यार्थियों की सर्जनात्मक प्रतिभा को सामने लाने के लिये कॉलेज 'मनीषा' पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त कॉलेज बुलेटिन 'सर्जना' का प्रकाशन भी तीन माह में होता है। पत्रिका में विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास हेतु मौलिक रचनाएं व चित्र आदि प्रकाशित किए जाते हैं। रचनाओं के आमंत्रण की सूचना प्रभारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना :

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के साथ एक स्ववित्त पोषित इकाई भी है। प्रत्येक इकाई में 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है रा.से.यो. का कार्यालय खेलकूद परिसर में स्थित है। रा.से.यो में तीन प्रकार के वार्षिक, विशेष एवं दैनिक गतिविधियों के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। कार्यक्रमों की गतिविधियों में शिक्षा एवं मनोरंजन, आपातकाल में किये जाने वाले कार्यक्रम-तूफान, बाढ़, भूकम्प एवं सूखा, पर्यावरण संवर्धन एवं समाज सेवा कार्यक्रम, प्रदूषण रहित पर्यावरण का परिरक्षण और अन्य गतिविधियाँ जो स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर की जाती हैं। रा.से.यो. की वार्षिक गतिविधियों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा सप्ताह, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यातायात नियंत्रण सप्ताह, कौमी एकता सप्ताह, पर्यावरण चेतना माह आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य लक्ष्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। रा.से.यो. का ब्रह्म वाक्य 'मुझको नहीं तुमको' प्रजातांत्रिक उपागम से रहने का पाठ पढ़ाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धियों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता, गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, राज्य स्तरीय शिविर, दो विशेष शिविर- 240 घंटे एवं 120 घंटे के सेवा कार्य पर आगामी कक्षा में न्यूनतम अर्हताओं पर प्राप्तांकों में इस सेवा से लाभ के लिये निदेशक कॉलेज शिक्षा से प्राप्त प्रवेश नीति का अनुसरण किया जाता है तथा 6 प्रतिशत 5

प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत अभिवृद्धि का लाभ मिलता है। प्रवेश आवेदन-पत्र विभिन्न इकाई प्रभारियों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

एन.सी.सी.

महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की थल सेना इकाई है जिसमें 213 कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा खुली इकाई के तहत 40 स्थान महाविद्यालय के कैडेट्स हेतु राज. आर. एण्ड वी स्क्वाड्रन (घुड़सवारी इकाई) द्वारा भरे जाते हैं। 213 कैडेट्स में से द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एन.सी.सी. के कैडेट्स की संख्या को घटाकर जो स्थान शेष रहते हैं, उनमें प्रथम वर्ष एन.सी.सी. कैडेट्स व बाद में प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम वाले छात्रों को दी जाती है। अन्य छात्रों के सम्बन्ध में स्थान रिक्त होने पर विचार किया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर बी एवं सी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। यह पूरा पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण तीन वर्षों में पूरा होता है। तीनों वर्षों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 'बी' परीक्षा हेतु प्रथम व द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत उपस्थिति व एक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। यह योग्यता पूरी करने वाले कैडेट्स 'बी' परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 'सी' परीक्षा हेतु तीनों वर्षों में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं 'बी' परीक्षा पास होना अनिवार्य है।

कैडेट्स के तीनों वर्षों के दौरान सैन्य इतिहास, शस्त्र शिक्षा, मैप रीडिंग, ड्रिल, नागरिक सुरक्षा, पर्यावरण चेतना, सामाजिक सुरक्षा, नेतृत्व के गुणों के विकास, आत्मरक्षा, योगासन, प्राथमिक चिकित्सा, फील्ड क्राफ्ट, स्वास्थ्य एवं सफाई, सुरक्षा, नेताओं का संगठन व प्रशासक तथा सामान्य ज्ञान आदि विषयों की गहन जानकारी व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

सभी कैडेट्स को ड्रेस महाविद्यालय स्थित इकाई द्वारा स्वीकृत की जायेगी। आवश्यक प्रतिभूति छात्रों को जमा करवानी होगी। ड्रेस जमा करवाने पर यह राशि छात्र को वापस लौटा दी जाती है। कैडेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशिक्षण वर्ष के अन्त में सूचना प्राप्त होते ही, ड्रेस जमा कर दें। कैडेट्स को ड्रेस हेतु निर्धारित दरों के अनुसार धुलाई भत्ता भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण वर्ष के दौरान कई शिविरों का आयोजन किया जाता है –

1. वार्षिक प्रशिक्षण शिविर
2. स्थाई सैन्य टुकड़ी के साथ संलग्न शिविर
3. गणतंत्र दिवस शिविर
4. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
5. बेसिक लीडरशिप कैम्प
6. ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प
7. ट्रेकिंग कैम्प

एन.सी.सी. 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त कैडेट्स को विभिन्न अकादमिक प्रवेश के समय ग्रेड के अनुसार बोनस अंक प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा सेना, पुलिस एवं पैरा मिलीटरी संगठनों में कैडेट्स को प्राथमिकता के साथ भर्ती किया जाता है। विभिन्न शिविरों में भाग लेने के दौरान कैडेट्स को रियायती दरों पर कैम्प सुविधा का लाभ दिया जाता है।

'सी' प्रमाण पत्र ए व बी ग्रेड के साथ पास कैडेट्स को सेना में अधिकारी वर्ग में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में बिना भाग लिये साक्षात्कार के आधार पर भर्ती होने की छूट है। अकादमी परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले कैडेट्स को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कैडेट्स की भर्ती एक दिन ही की जाती है। महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी ही इस भर्ती परेड में भाग ले सकते हैं। भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। द्वितीय व तृतीय वर्ष के कैडेट्स को जुलाई माह में प्रवेश लेते ही नवीनीकरण कराना

अनिवार्य होगा। इसके अलावा एन.सी.सी. से सम्बन्धित सूचनाओं हेतु महाविद्यालय में एन.सी.सी. अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा सकता है।

छात्र सहायता कोष :

1. इस कोष में प्रत्येक छात्र से प्रतिवर्ष 5.00 रु. लिया जाता है। कॉलेज में एकत्र की गई जितनी राशि प्रतिवर्ष यू.जी.सी. द्वारा भी प्राप्त होती है।
2. इस कोष में विशिष्ट अर्थापेक्षी छात्रों को विश्वविद्यालय का परीक्षा शुल्क देने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है।
3. इस कोष से सहायता प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियों को निर्धारित प्रपत्र में शैक्षणिक शाखा में आवेदन करना चाहिये।

साईकिल / स्कूटर स्टैण्ड :

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के लिये साईकिल / स्कूटर स्टैण्ड बने हुए हैं। अपने वाहन की सुरक्षा के लिये विद्यार्थियों को चाहिये कि उसे निर्धारित स्टैण्ड में रखकर चौकीदार से टोकन प्राप्त कर लें, जिससे स्टैण्ड के चौकीदार पर उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व रहे। निर्धारित स्थान से पृथक स्थान पर साईकिल / स्कूटर रखने पर उसकी सुरक्षा का दायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा।

महिला छात्रावास :

महाविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं हेतु छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कॉलेज कैण्टीन :

महाविद्यालय में विद्यार्थियों / कर्मचारियों की सुविधा के लिये कैण्टीन है। इसमें रियायती दरों पर अल्पाहार प्राप्त होता है। कैण्टीन में बैठ कर हल्ला करना, गन्दगी फैलाना, तोड़-फोड़ करना या अल्पाहार की कीमत अदा न करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर विद्यार्थी को दण्डित कर उसके चरित्र प्रमाण-पत्र को रोका जा सकता है।

कॉमन रूम :

महाविद्यालय में छात्रों के मनोरंजन के लिये कैण्टीन के पास एक कॉमन रूम है। इसमें छात्रों के लिये कुछ इण्डोर खेलों की सुविधाएँ उपलब्ध है। उपाचार्य कक्ष के निकट छात्राओं के लिये एक कॉमन रूम है।

युवा विकास केन्द्र :

विद्यार्थियों की रोजगारोन्मुखी क्षमताओं को विकसित करने एवं रोजगारों की नवीनतम जानकारी देने के लिए महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र विकसित किया गया है। इस केन्द्र पर विद्यार्थी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर सकता है एवं रोजगार सम्बन्धी परामर्श प्राप्त कर सकता है। इस केन्द्र की गतिविधियों में विद्यार्थी परामर्श केन्द्र एवं कैरियर कॉउन्सलिंग ब्यूरो भी सम्मिलित हैं।

विद्यार्थी परामर्श केन्द्र :

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिये एक विद्यार्थी परामर्श केन्द्र भी है। इस केन्द्र से विद्यार्थियों को अपना व्यवसाय चयन हेतु भी परामर्श दिया जाता है।

अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों को परामर्श

ने हेतु एक विद्यार्थी परामर्श विशेष प्रकोष्ठ भी महाविद्यालय में है।

कैरियर काउन्सलिंग ब्यूरो

डूंगर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सहायता एवं गाइडेन्स के लिए कैरियर काउन्सलिंग ब्यूरो का गठन किया गया है। इस ब्यूरो द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं एवं विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने का कार्य किया जाता है।

बी.पी.ओ. प्रशिक्षण कार्यक्रम

बी.पी.ओ. (बिजनस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इस कार्यक्रम में छात्रों को 60 घंटे अंग्रेजी दक्षता एवं 40 घंटे विश्लेषणात्मक दक्षता, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इन्टरनेट प्रशिक्षण आदि प्रदान किये जाते हैं। प्रशिक्षण के बाद सत्र के अंत में कम्पनी, कैम्पस प्लेसमेन्ट द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार के लिए चयनित करती है।

यात्रा सम्बन्धी कन्सेशन

अ. रेलवे कन्सेशन

1. महाविद्यालय के छात्रों को प्रवेश आवेदन-पत्र पर लिखे गये घर के स्थाई पते पर जाने के लिये ग्रीष्मावकाश में रेलवे कन्सेशन दिया जायेगा। (संदर्भ उ.रे. आदेश संख्या **MCo/37/Dt.6.11.78**)
2. इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जाने के लिये कन्सेशन नहीं दिया जायेगा।
3. बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. (अंतिम वर्ष) के छात्रों को एवं एम.ए./एम.एससी. (उत्तरार्द्ध) के छात्रों को रेलवे कन्सेशन केवल घर जाने के लिये दिया जायेगा।
4. ग्रीष्मावकाश के दौरान एम.एस.टी. की सुविधा नहीं दी जायेगी।

ब. बस कन्सेशन :

राजस्थान रोडवेज से यात्रा करने के लिये छात्रों को बस कन्सेशन केवल दीपावली अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश के लिये ही दिया जायेगा।

नोट : बस अथवा रेलवे कन्सेशन चाहने वाले विद्यार्थी को अपना प्रार्थना पत्र यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व शैक्षणिक प्रकोष्ठ में देना होगा। प्रार्थना पत्र देने के सात दिनों में शैक्षणिक प्रकोष्ठ से ही विद्यार्थी को कन्सेशन पत्र दिया जायेगा।

विविध प्रमाण-पत्र

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र :

महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी 10.00 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करवा कर निर्धारित शुल्क की रसीद के साथ अपना प्रार्थना पत्र शैक्षणिक प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर दें। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के सामान्यतः दो दिन पश्चात् शैक्षणिक प्रकोष्ठ द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। डुप्लीकेट स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी 50.00 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करवाकर नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र खो जाने पर **FIR** की कापी प्रार्थना-पत्र के साथ शैक्षणिक

प्रकोष्ठ में जमा कराएँगे। इसके पश्चात् ही उनको डुप्लीकेट स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी होगा।

चरित्र प्रमाण पत्र :

महाविद्यालय से चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को दस रुपये शुल्क सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन शैक्षणिक प्रकोष्ठ में करना होगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से यह प्रमाण-पत्र सामान्यतया दो दिन पश्चात् शैक्षणिक प्रकोष्ठ से ही दे दिया जायेगा। चरित्र प्रमाण-पत्र दे देने के पश्चात् सामान्यतः छह माह की अवधि तक दूसरा प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा।

सूचना : महाविद्यालय में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थी को चरित्र प्रमाण पत्र देने पर रोक लगाई जा सकती है।

प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र :

महाविद्यालय से स्नातक-अधिस्नातक की प्रोविजनल (स्वायत्तशासी काल की) डिग्री प्रमाण पत्र चाहने वाले विद्यार्थी को 50.00 रुपये शुल्क जमा करानी होगी। शुल्क की रसीद के साथ विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रार्थना-पत्र शैक्षणिक प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर दें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सामान्यतः दो दिन पश्चात् विद्यार्थी को शैक्षणिक प्रकोष्ठ से ही प्रोविजनल डिग्री प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

डुप्लीकेट अंक तालिका :

महाविद्यालय से डुप्लीकेट अंकतालिका (स्वायत्तशासी काल की) प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को 50.00 रु. शुल्क जमा करवाना होगा। शुल्क की रसीद के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सामान्यतः दो दिन पश्चात् विद्यार्थी को शैक्षणिक प्रकोष्ठ से ही प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

डुप्लीकेट पुस्तकालय कार्ड :

पुस्तकालय का कार्ड खो जाने पर 10.00 रुपये प्रति कार्ड जमा करवाना होगा। शुल्क की रसीद के साथ निर्धारित प्रपत्र में विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 15 दिनों में नया कार्ड दिया जा सकेगा।

डुप्लीकेट परिचय पत्र :

डुप्लीकेट परिचय पत्र बनवाने हेतु विद्यार्थी को एफीडेविट के साथ पचास रु. की राशि महाविद्यालय में जमा करवानी होगी।

विविध डिग्रियाँ :

विश्वविद्यालय से प्राप्त विविध कक्षाओं की डिग्रियाँ शैक्षणिक प्रकोष्ठ में प्रदान की जाती है।

कॉशन मनी लौटाना :

1. कॉलेज एवं छात्रावास की प्रतिभूति धन (कॉशन मनी) प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ने की तीन

वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् यह राशि देय नहीं होगी।

महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषय उपलब्ध है।

कला संकाय

- 1-अंग्रेजी
- 2-हिन्दी
- 3-संस्कृत
- 4-उर्दू
- 5-राजस्थानी
- 6-दर्शन शास्त्र
- 7-राजनीतिविज्ञान
- 8-लोकप्रशासन
- 9-अर्थशास्त्र
- 10-समाजशास्त्र
- 11-भूगोल
- 12-चित्रकला
- 13-इतिहास

विज्ञान संकाय

- 1-भौतिक विज्ञान
 - 2-रसायन विज्ञान
 - 3-भूगर्भ विज्ञान
 - 4-वनस्पति विज्ञान
 - 5-जन्तु विज्ञान
 - 6-गणित
 - 7- भूगोल
- ## वाणिज्य संकाय
- 1-लेखा एवं सांख्यिकी
 - 2-व्यवसाय प्रशासन
 - 3-आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन

नोट:-

1. प्रवेश सम्बन्धित नियमों/उपनियमों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2016-17 देखें।
2. विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र-भूगर्भ शास्त्र-भूगोल युग्मन विषय (Combination subjects) में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र फीस जमा करवाने के समय सम्बन्धित प्रवेश समिति से संपर्क करें।

नोट:- महाविद्यालय में The Institute of Cost Accountant of India (भारत सरकार की वैधानिक संस्था) द्वारा संचालित एक वर्षीय certificate in Accounting Technicians 'CAT' कोर्स का Recognise oral Coaching Centre (ROCC) है जिसके तहत स्नातक डिग्री के साथ विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकता है जिसकी कक्षाएं भी संचालित होती हैं।

महाविद्यालय में राज्य सरकार की योजनान्तर्गत श्री विद्या अनुशिक्षण केन्द्र भी स्थापित है जिसमें NET/SLET/RAS(Pre)/SSC(CGL)/Bankकी कोचिंग कक्षाएं संचालित की जाती हैं।

महाविद्यालय में सत्र 2016-17 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु सभितियाँ

प्रवेश प्रभारी मंडल

अधिष्ठाता विज्ञान संकाय : डॉ.सतीश कौशिक
अधिष्ठाता कला संकाय : डॉ.अरुण कुमार जोशी
अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय : डॉ.एन.एस.मोदी
नोडल अधिकारी, प्रवेश : डॉ.शिशिर शर्मा
नोडल अधिकारी पीजी प्रवेश : डॉ.एम.डी.शर्मा

बी.एससी. पार्ट-1 प्रवेश समिति

- 1-डॉ.सुमनचन्द्र शर्मा,संयोजक
- 2-डॉ.स्मिता जैन
- 3-डॉ.अजयकुमार नागर
- 4-डॉ.आर.के.पुरोहित
- 5-डॉ.प्रताप सिंह
- 6-डॉ.अनु कुमार शर्मा
- 7-डॉ.योगेन्द्र सिंह
- 8-डॉ.आनन्द कुमार खत्री
- 9-डॉ.एस.एन.जाटोलिया
- 10-श्री राजाराम
- 11-श्री देवाराम

बी.एससी पार्ट- II

- 1-डॉ.आर.एस.वर्मा,संयोजक
- 2-डॉ.मोनिका क्षेत्रपाल
- 3-डॉ.अनामि भार्गव
- 4-डॉ.सुमनलता त्रिपाठी
- 5-डॉ.अनिल गुप्ता
- 6-डॉ.रक्षा मिश्रा
- 7-डॉ.गोविन्द बारूपाल

बी.एससी पार्ट- III

- 1-डॉ.ए.के.यादव,संयोजक
- 2-डॉ.आर.के.गहलोत
- 3-डॉ.प्रकाश आचार्य
- 4-डॉ.नरेन्द्र भोजक
- 5-डॉ.मनीशा अग्रवाल

बी.कॉम पार्ट- I

- 1-श्री संजय ईस्सर,संयोजक
- 2-डॉ.सन्दीप कुमार यादव
- 3-डॉ.बलराम साई
- 4-डॉ.सुशील कुमार यादव
- 5-डॉ.सुनील दत्त व्यास
- 6-डॉ.सीताराम चाहलिया

बी.कॉम पार्ट- II, III

- 1-डॉ.राजनारायण व्यास,संयोजक
- 2-डॉ.राजकुमार ठठेरा
- 3-डॉ.सुरेश कुमार वर्मा

बी.ए.पार्ट- I,

- 1-डॉ.बजरंग सिंह राठौड,संयोजक
- 2-डॉ.साधना भण्डारी
- 3-डॉ.मोहम्मद हुसैन
- 4-श्री सुरेन्द्र पाल मेघ
- 5-डॉ.श्यामा अग्रवाल
- 6-डॉ.जयभारत सिंह
- 7-डॉ.विपिन सैनी
- 8-डॉ.बिन्दु भसीन
- 9-डॉ.विनोद सिंह नेहरा
- 10-डॉ.सुनीता गोयल
- 11-डॉ.भगवानाराम गोदारा
- 12-श्री पवन कुमार
13. डॉ.असमा मसूद

बी.ए.पार्ट- II

- 1-डॉ.सुचित्रा कश्यप,संयोजक
- 2-डॉ.राजेन्द्र पुरोहित,इतिहास
- 3-डॉ.अनीता गोयल
- 4-डॉ.बृजरतन जोशी
- 5-डॉ.अनिल कुमार बारिया

बी.ए.पार्ट- III

- 1-डॉ.उशा कंवर,संयोजक
- 2-डॉ.विजय कुमार ऐरी,
- 3-डॉ.दिव्या जोशी
- 4-डॉ.प्रेरणा महेश्वरी
- 5-श्री मनीश महर्षि
- 6-श्री सन्दीप कुमार महला

अनुशासन समिति

1. डॉ.एम.एल.भादू संयोजक
2. डॉ.बी.एस.राठौड सह संयोजक
3. डॉ.इन्द्रसिंह राजपुरोहित सदस्य
4. डॉ.सी.एस.कच्छावा सदस्य
5. डॉ.सुमित्रा चारण सदस्य
6. डॉ.सी.के.बहुरा सदस्य
7. डॉ.सुचित्रा कश्यप सदस्य
8. डॉ.इन्द्रा विश्नोई सदस्य
9. डॉ.सुरेन्द्र पाल मेघ सदस्य
10. डॉ.जय भारत सिंह सदस्य
11. डॉ.दीपक शर्मा सदस्य
12. डॉ.नरेन्द्र सिंह राठौड सदस्य
13. डॉ.अनिला पुरोहित सदस्य
14. डॉ.विनोद सिंह सदस्य
15. श्रीमती श्वेता नेहरा सदस्य

प्रकाशन एवं सम्पादन समिति

(विवरणिका / आवेदनपत्र / परिचय पत्र)

1. डॉ. एन एस मोदी, संयोजक
2. डॉ. जी. पी. सिंह, सह संयोजक
3. डॉ. (श्रीमती) शालिनी मूलचंदानी, सदस्य
4. डॉ. चन्द्रशेखर कच्छावा सदस्य
5. डॉ. नरेन्द्र भोजक, सदस्य

विद्यार्थी परामर्श प्रकोष्ठ

1. डॉ. बी.एल. शर्मा, संयोजक
2. डॉ. सुरेन्द्र पाल मेघ, सदस्य
3. डॉ. सी.एस. कच्छावा, सदस्य
4. डॉ. सुषमा जैन, सदस्य
5. डॉ. उज्ज्वल गोस्वामी, सदस्य
6. श्री राजकुमार ठठेरा, सदस्य

शैक्षणिक संकाय

प्राचार्य
डॉ. बेला भनोत
उप-प्राचार्य
डॉ. उमाकांत

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. ए.के.जोशी
2. डॉ. जमील उस्ता
3. डॉ. उषा कंवर
4. डॉ. (श्रीमती) दिव्या जोशी
5. डॉ. (श्रीमती) सोनू शिवा
6. डॉ. अविनाश जोधा
7. डॉ. मनीष महर्षि
8. श्री सुनीलदत्त व्यास

संस्कृत विभाग

1. डॉ. नंदिता सिंघवी
2. डॉ. विक्रमजीत
3. डॉ. श्यामा अग्रवाल
4. डॉ. उज्ज्वल गोस्वामी
5. डॉ. सुधा सिंह

हिन्दी विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) शालिनी मूलचंदानी
2. डॉ. सुमनलता मैनराय
3. डॉ. मुकुन्द नारायण पुरोहित
4. डॉ. सुचित्रा कश्यप
5. डॉ. (श्रीमती) स्नेह लता पांडिया
6. डॉ. सोमनारायण पुरोहित
7. डॉ. ब्रजरतन जोशी
8. डॉ. मीनाक्षी चौधरी
9. श्री अनिल कुमार बारिया
10. श्रीमती अनिता गोयल

राजस्थानी विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) प्रकाश अमरावत

लोक प्रशासन विभाग

1. डॉ. बजरंग सिंह राठौड
2. डॉ. (श्रीमती) साधना भण्डारी
3. डॉ. दीपक शर्मा
4. श्रीमती नीरू गुप्ता
5. श्रीमती मीना रानी

राजनीति विभाग

1. डॉ. मैना निर्वाण
2. डॉ. सुनीता गोयल
3. श्री नरेन्द्र कुमार
4. श्री सिद्धार्थ राव
5. श्री संदीप कुमार
6. श्रीमती सुलोचना

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ.एन.के.व्यास,
2. डॉ. सरला वर्मा
3. श्री विनोद कुमार गोयल
4. डॉ. ज्योति कपूर
5. डॉ. विजय कुमार ऐरी

उर्दू विभाग

1. डॉ. मोहम्मद हुसैन
2. डॉ. मोईनुदीन
3. सुश्री अस्मा मसूद

चित्रकला विभाग

1. डॉ. इन्द्र सिंह राजपुरोहित
2. डॉ. सतीश गुप्ता
3. डॉ. नरेन्द्र कुमार
4. श्री सुरेन्द्र पाल मेघ

वाणिज्य विभाग

1. श्री एन एस मोदी
2. श्री राजकुमार ठठेरा
3. श्री सीताराम चाहलिया

समाजशास्त्र विभाग

1. श्री श्याम सुन्दर
2. श्री अशोक कुमार
3. श्री महेन्द्र कुमार थोरी
4. डॉ. महेश कुमार गर्ग

इतिहास विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) इन्दु आसोपा
2. डॉ. (श्रीमती) शारदा शर्मा
3. डॉ. चन्द्रशेखर कच्छावा
4. श्रीमती प्रेरणा महेश्वरी
5. डॉ. (श्रीमती) अनिला पुरोहित
6. डॉ. बिन्दु भसीन
7. डॉ. राजेन्द्र कुमार पुरोहित
8. श्रीमती उषा लोमरोड

दर्शन शास्त्र विभाग

1. श्रीमती सुमित्रा चारण
2. डॉ. राजनारायण व्यास
3. डॉ. (श्रीमती) इन्द्रा विश्नोई

गणित विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) रचना माथुर
2. डॉ. संजय ईस्सर
3. डॉ. शशिकान्त
4. डॉ. विमल कुमार गौड
5. श्रीमती नीलमणि गुप्ता

भौतिक विभाग

1. डॉ. रविन्द्र मंगल
2. डॉ. जी.पी सिंह
3. डॉ. एम.डी. शर्मा

4. डॉ. अजय कुमार नागर
5. श्री अरविन्द शर्मा (टीआरएफ)
6. डॉ. (श्रीमती) मोनिका क्षेत्रपाल
7. श्रीमती रांका यादव
8. डॉ. अनामि भार्गव
9. डॉ. (श्रीमती) स्मिता शर्मा

भूगर्भ विभाग

1. डॉ. सतीश कौशिक
2. डॉ. शिशिर शर्मा
3. डॉ. एम.एल.भादू
4. डॉ. अरुण शांडिल्य
5. डॉ. ए.के. यादव
6. डॉ. देवेश खण्डेलवाल
7. डॉ. बी.एल. शर्मा
8. श्री देवाराम

रसायनशास्त्र विभाग

1. डॉ. आर.पी. माथुर
2. डॉ. रवि शंकर वर्मा
3. डॉ. एच. पी. यादव
4. डॉ. (श्रीमती) सुषमा जैन
5. डॉ. (श्रीमती) मृदुला भटनागर
6. डॉ. (श्रीमती) सुरुचि गुप्ता
7. डॉ. संगीता शर्मा
8. डॉ. नरेन्द्र भोजक
9. डॉ. गौरव चावला
10. डॉ. अनिल गुप्ता
11. डॉ. जय शंकर आचार्य
12. डॉ. एस. एस. भंडारी
13. श्रीमती उमा राठौड
14. डॉ. सत्य नारायण जाटोलिया
15. श्री राजा राम
16. डॉ. सुशील कुमार यादव
17. श्री एस के वर्मा

भूगोल विभाग

1. डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह
2. डॉ. जय भारत सिंह
3. डॉ. राजेश भाकर
4. डॉ. उषा
5. डॉ. विपिन सैनी
6. डॉ. विनोद सिंह
7. डा. करबी साहा
8. श्री भगवाना राम
9. श्रीमती श्वेता नेहरा
10. श्री पवन कुमार

वनस्पति विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) संध्या जैन
2. डॉ. सुमन चन्द्र शर्मा
3. डॉ. रामकरण गहलोत
4. डॉ. मूलचन्द माली
5. डॉ. स्मिता जैन
6. डॉ. अनिल अरोड़ा
7. डॉ. रोहिताश्व चौधरी
8. डॉ. सुमनलता त्रिपाठी
9. डॉ. संजय आचार्य
10. डॉ. शमिन्द्र सक्सेना
11. डॉ. रक्षा मिश्रा
12. डॉ. गोविन्द बारूपाल
13. डॉ. संदीप यादव
14. कु. शिल्पा यादव
15. डॉ. विनोद कुमारी
16. श्री रवि पड़िहार

प्राणिशास्त्र विभाग

1. डॉ. मीरा श्रीवास्तव
2. डॉ. राजेन्द्र पुरोहित
3. डॉ. चन्दन कुमार बहुरा
4. डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव
5. डॉ. अनिता रंगा
6. डॉ. प्रताप सिंह
7. डॉ. लीना शरण
8. डॉ. प्रकाश आचार्य
9. डॉ. अनु कुमार शर्मा
10. डॉ. कैलाश स्वामी
11. डॉ. हरभजन कौर
12. डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड
13. डॉ. योगेन्द्र सिंह
14. डॉ. मनीषा अग्रवाल
15. डॉ. अरुणा चक्रवर्ती
16. डॉ. आनन्द खत्री
17. श्री बलराम साई
18. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी

पुस्तकालयाध्यक्ष

श्री बीरबल मेघवाल

स.ले.प्रथम

श्री हरिकिशन भद्रवाल

मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग

क्रम संख्या	मंत्रालयिक कर्मचारी का नाम	क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम
1	श्री केवल कृष्ण शर्मा	1	श्री गंगाराम
2	श्रीमती प्रीति पुरोहित	2	श्री करणीदान
3	श्री विद्यासागर रंगा	3	श्री किसन लाल
4	श्री लूनकरण रंगा	4	श्री नारायण राम शर्मा
5	श्री नरेन्द्र सिंह	5	श्री चिमन लाल
6	श्री भवानी शंकर रंगा	6	श्रीमती अन्न पूर्णा स्वामी
7	श्री उमेश कुमार व्यास	7	श्री सरदार सिंह
8	श्री ज्ञानेश्वर स्वामी	8	श्री राजेन्द्र जोशी
9	श्रीमती बिन्दु माथुर	9	श्री धूजाराम
10	श्री मुकेश कमार	10	श्री गणेश
11	श्री गंगादास व्यास	11	श्री शिव कुमार
12	श्री यश भार्गव	12	श्री ओम प्रकाश
13	श्री चन्द्रपुरी	13	श्री कमल किशोर जोशी
14	श्री दीनगिरि	14	श्री किशन कुमार व्यास
15	श्री जुगल किशोर रामावत	15	श्री गिरिराज पंवार
16	श्री हरि राम आसेरी	16	श्री पुखराज चांवरिया
17	श्री शिव कुमार आचार्य	17	श्री हरिरतन पुरोहित
18	श्री ओम प्रकाश सुथार	18	श्री मुन्नी लाल
19	श्री कैलाश नाथ पुरोहित	19	श्री भंवर लाल माली
20	श्री इन्द्र सिंह भाटी	20	श्री नारायण सिंह
21	श्री मदन मोहन हर्ष	21	श्री जेटू सिंह
22	श्री विमल कुमार श्रीमाली	22	श्री देव किशन व्यास
23	श्री फूसाराम नायक	23	श्री भवानीशंकर मोयल
24	श्री महेन्द्र परिहार	24	श्री किशन सिंह शेखावत
		25	श्री विजय कुमार
		26	श्री इन्द्र सिंह शेखावत
		27	श्री मोहम्मद याकूब
		28	श्री जयकरण
		29	श्री हीरालाल व्यास
		30	श्री हरि राम
		31	श्री महेन्द्र सिंह
		32	श्री मधाराम

Optional Subjects in B.A. Part I - 2016-17

Student will have to select any three Subjects taking only one from any following Groups

Group A	Group B	Group C	Group D
English Literature	Public Administration	Geography	Sanskrit
Rajasthani	Economics	Philosophy	Urdu
History	Drawing and Painting	Sociology	Hindi Literature
	Political Science		

Sanctioned Sections and Seats in the subject

Subject	Sections	Seats	Subject	Sections	Seats	Subject	Sections	Seats
Drawing and Painting	1	80	History	10	880	Rajasthani	2	160
Economics	2	160	Philosophy	1	80	Sanskrit	2	160
English Literature	4	320	Pol. Science	8	640	Sociology	4	320
Geography	11	860	Pub. Adm.	6	480	Urdu	1	80
Hindi Literature	13	1040						

Optional Subjects in B.Sc. Part I- 2016-17

Student will have to select any three Subjects as per following allowed Subject Combinations. Sanctioned sections and Seats are as follows

Sub Combination	Sections	Seats	Sub Combination	Sections	Seats
PCM	4	280	CBZ	4	280
PMG	1	70	CBG	1	25
			CZG	1	25
			CGGe	1	20

1. Physics, Chemistry, Mathematics (PCM)
2. Physics, Mathematics, Geology (PMG)
3. Chemistry, Botany, Zoology (CBZ)
4. Chemistry, Botany, Geology (CBG)
5. Chemistry, Zoology, Geology (CZG)
6. Chemistry, Geology, Geography (CGGe)

Optional Subjects in B.Com. Part I- 2016-17

Group A	Group B	Group C
ABST	EAFM	BMGMT

ABST- 640 Seats

EAFM- 640 Seats

BMGMT- 640 Seats

Subject combination available for B.A. Part I Session 2016-17

S.N	Optional I	Optional II	Optional III
1	Hindi Literature	Public Administration	Geography
2	Hindi Literature	Public Administration	Philosophy
3	Hindi Literature	Public Administration	English Literature
4	Hindi Literature	Public Administration	History
5	Hindi Literature	Public Administration	Sociology
6	Hindi Literature	Economics	Geography
7	Hindi Literature	Economics	Philosophy
8	Hindi Literature	Economics	English Literature
9	Hindi Literature	Economics	History
10	Hindi Literature	Economics	Sociology
11	Hindi Literature	Drawing and Painting	Geography
12	Hindi Literature	Drawing and Painting	Philosophy
13	Hindi Literature	Drawing and Painting	English Literature
14	Hindi Literature	Drawing and Painting	History
15	Hindi Literature	Drawing and Painting	Sociology
16	Hindi Literature	Political Science	Geography
17	Hindi Literature	Political Science	Philosophy
18	Hindi Literature	Political Science	English Literature
19	Hindi Literature	Political Science	History
20	Hindi Literature	Political Science	Sociology
21	Rajasthani	Public Administration	Geography
22	Rajasthani	Public Administration	Philosophy
23	Rajasthani	Public Administration	English Literature
24	Rajasthani	Public Administration	History
25	Rajasthani	Public Administration	Sociology
26	Rajasthani	Economics	Geography
27	Rajasthani	Economics	Philosophy
28	Rajasthani	Economics	English Literature
29	Rajasthani	Economics	History
30	Rajasthani	Economics	Sociology
31	Rajasthani	Drawing and Painting	Geography
32	Rajasthani	Drawing and Painting	Philosophy
33	Rajasthani	Drawing and Painting	English Literature
34	Rajasthani	Drawing and Painting	History
35	Rajasthani	Drawing and Painting	Sociology
36	Rajasthani	Political Science	Geography
37	Rajasthani	Political Science	Philosophy
38	Rajasthani	Political Science	English Literature
39	Rajasthani	Political Science	History
40	Rajasthani	Political Science	Sociology

Subject combination available for B.A. Part I Session 2016-17

41	Sanskrit	Public Administration	Geography
42	Sanskrit	Public Administration	Philosophy
43	Sanskrit	Public Administration	English Literature
44	Sanskrit	Public Administration	History
45	Sanskrit	Public Administration	Sociology
46	Sanskrit	Economics	Geography
47	Sanskrit	Economics	Philosophy
48	Sanskrit	Economics	English Literature
49	Sanskrit	Economics	History
50	Sanskrit	Economics	Sociology
51	Sanskrit	Drawing and Painting	Geography
52	Sanskrit	Drawing and Painting	Philosophy
53	Sanskrit	Drawing and Painting	English Literature
54	Sanskrit	Drawing and Painting	History
55	Sanskrit	Drawing and Painting	Sociology
56	Sanskrit	Political Science	Geography
57	Sanskrit	Political Science	Philosophy
58	Sanskrit	Political Science	English Literature
59	Sanskrit	Political Science	History
60	Sanskrit	Political Science	Sociology
61	Urdu	Public Administration	Geography
62	Urdu	Public Administration	Philosophy
63	Urdu	Public Administration	English Literature
64	Urdu	Public Administration	History
65	Urdu	Public Administration	Sociology

Distribution of Seats in the Session 2015-16

College Name : Government Dungar College, Bikaner

S.No.	Class	No. of Sections	Total No. of Seats	Category wise distribution of seats (Numbers)				
				General	SC	ST	OBC	SOBC
				Total 50%	Total 16%	Total 12%	Total 21%	Total 01%
1	BA Pt. I	22	1760	880	282	211	369	18
2	B.Sc. Pt. I	10	700	350	112	84	147	7
3	B.Com. Pt. I	8	640	320	103	77	134	6

Reservation for PH Ortho, Kashmiri Migrant 1%, Defence 3% includes in total of each Category

Subject combination available for B.A. Part I Session 2016-17

66	Urdu	Economics	Geography
67	Urdu	Economics	Philosophy
68	Urdu	Economics	English Literature
69	Urdu	Economics	History
70	Urdu	Economics	Sociology
71	Urdu	Drawing and Painting	Geography
72	Urdu	Drawing and Painting	Philosophy
73	Urdu	Drawing and Painting	English Literature
74	Urdu	Drawing and Painting	History
75	Urdu	Drawing and Painting	Sociology
76	Urdu	Political Science	Geography
77	Urdu	Political Science	Philosophy
78	Urdu	Political Science	English Literature
79	Urdu	Political Science	History
80	Urdu	Political Science	Sociology
81	Hindi Literature	Geography	English Literature
82	Hindi Literature	Geography	History
83	Hindi Literature	Geography	Sociology
84	Hindi Literature	Philosophy	English Literature
85	Hindi Literature	Philosophy	History
86	Hindi Literature	Philosophy	Sociology
87	Rajasthani	Geography	English Literature
88	Rajasthani	Geography	History
89	Rajasthani	Geography	Sociology
90	Rajasthani	Philosophy	English Literature
91	Rajasthani	Philosophy	History
92	Rajasthani	Philosophy	Sociology
93	Sanskrit	Geography	English Literature
94	Sanskrit	Geography	History
95	Sanskrit	Geography	Sociology
96	Sanskrit	Philosophy	English Literature
97	Sanskrit	Philosophy	History
98	Sanskrit	Philosophy	Sociology
99	Urdu	Geography	English Literature
100	Urdu	Geography	History

Subject combination available for B.A. Part I Session 2016-17

101	Urdu	Geography	Sociology
102	Urdu	Philosophy	English Literature
103	Urdu	Philosophy	History
104	Urdu	Philosophy	Sociology
105	Public Administration	Geography	English Literature
106	Economics	Geography	English Literature
107	Drawing and Painting	Geography	English Literature
108	Political Science	Geography	English Literature
109	Public Administration	Philosophy	English Literature
110	Economics	Philosophy	English Literature
111	Drawing and Painting	Philosophy	English Literature
112	Political Science	Philosophy	English Literature
113	Public Administration	Geography	History
114	Public Administration	Geography	Sociology
115	Public Administration	Philosophy	History
116	Public Administration	Philosophy	Sociology
117	Economics	Geography	History
118	Economics	Geography	Sociology
119	Economics	Philosophy	History
120	Economics	Philosophy	Sociology
121	Drawing and Painting	Geography	History
122	Drawing and Painting	Geography	Sociology
123	Drawing and Painting	Philosophy	History
124	Drawing and Painting	Philosophy	Sociology
125	Political Science	Geography	History
126	Political Science	Geography	Sociology
127	Political Science	Philosophy	History
128	Political Science	Philosophy	Sociology

DETAILS OF ADMISSION COMMITTEE

Name of College	Government Dungar College
Email address of college	info@dungarcollege.ac.in
Phone No. of College	0151-2528036
Name of Principal	Dr. Bela Bhanot
Mobile No. of Principal	9414242977
Email address of Principal	belabhanot11@gmail.com
Name of Vice Principal (Admission Incharge)	Dr. Uma Kart
Mobile No. of Vice Principal	9414243010
Email address of Vice Principal	umakanthindi@gmail.com
Name of Nodal Officer for Admissions	Dr. Shishir Sharma
Designation	Lect. Sel Scale
Subject	Geology
Mobile No.	9460617665
Email Address	shishirsharma5@gmail.com
Name of Convener of Arts Faculty admission committee	Dr. B.S.Rathore
Designation	Lect. Sel Scale
Subject	Public Administration
Mobile No.	9414275750
Email Address	ratho_re@yahoo.com
Name of Convener of Science Faculty admission committee	Dr. Suman Chand Sharma
Designation	Lect. Sel Scale
Subject	Botany
Mobile No.	9829176137
Email Address	suman_drsharma@yahoo.co.in
Name of Convener of Commerce Faculty admission comm.	Sh. Sanjay Issar
Designation	Lect. Sel Scale
Subject	Mathematics
Mobile No.	9460691912
Email Address	sanjaydcb14@gmail.com
Name of Nodal Officer for P.G. admission	Dr. M.D.Sharma
Designation	Lect. Sel Scale
Subject	Physics
Mobile No.	9413940393
Email Address	mdsharma.phy@gmail.com